विधान परिषद के तृतीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को कब-कब और कितना-कितना मानदेय दिया जाता रहा है?	शिक्षा मित्रों को निम्नवत् मानदेय दिया गया है:- 1. शासनादेश संख्या-2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा रू0 1450/- प्रतिमाह। 2. शासनादेश संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98, दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा रू0 2250/- प्रतिमाह। 3. शासनादेश संख्या-4009/79-5-2005-282/98, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा रू0 2400/- प्रतिमाह। 4. शासनादेश संख्या-1073/79-5-2007-282/98, दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा रू0 3000/- प्रतिमाह। 5. शासनादेश संख्या-422/79-5-2009-282/98, दिनांक 09 फरवरी, 2009 द्वारा रू0 3500/- प्रतिमाह। 6. शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा रू0 10,000/- प्रतिमाह।
(ख) क्या उनके मानदेय में बढोत्तरी किये जाने की भी माह जुलाई और अगस्त 2023 के मध्य में कोई कार्य योजना बनाये जाने पर भी विचार किया गया है?	जी नहीं।
(ग) शिक्षा मित्रों व सहायक अध्यापकों के कार्यो में क्या कोई अन्तर है या समान कार्य किया जा रहा है?	शिक्षामित्रों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए की गयी है, जबकि सहायक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी किया जाता है।
(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।